अनुसूचित जनजातियों की कल्याण-नीति

- अंग्रेजी शासन से पहले अनुसूचित जनजाति को अपनी शासन प्रणाली और जीवनशैली के लिए पूरी स्वतंत्रता हासिल थी। ब्रिटिश शासन के दौरान, अनुसूचित जनजाति को उपहास के नजरिये से देखा जाने लगा और उन्हें अपने पुश्तैनी अधिकारों से वंचित करने के लिए कई कानून लाए गए।
- संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ खास उपाय किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार, "राज्य कमजोर और वंचित तबकों, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और अन्य तरह के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।" इसी तरह, अनुच्छेद 15 और 16 के तहत, सरकार को अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है।
- संवैधानिक प्रावधानों के अलावा, संसद ने अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निरोधक) कानून, 1989 पास किया है। इसका मकसद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार और अपराधों को रोकना और पीड़ितों को राहत और पुनर्वास मुहैया कराना है।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून, 2006 के तहत, अनुसूचित जनजाति के लोगों को मान्यता देने के साथ-साथ उनके वन अधिकारों और जंगल की जमीन पर स्वामित्व को भी स्वीकार किया गया है।

संवैधानिक अधिकारों की रक्षा ज़रूरी-

- अनुसूचित जनजाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा ज़रूरी है और नियोजन की प्रक्रिया में इस समुदाय का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया, जो इस समुदाय के अधिकारों के संरक्षक और थिंकटैंक की तरह काम करता है।
- जनजातीय समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए अलग-अलग संस्थानों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत इसका गठन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
- अध्यक्ष को केंद्र के कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल होता है, जबकि सदस्यों का दर्जा भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। इस आयोग का दिल्ली में स्थायी सचिवालय है, जबकि देशभर में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके पास व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) का अधिकार भी है।
- आम तौर पर, जनजातीय समुदाय के लोग हितग्राही नहीं होते हैं, बल्कि वे अपरमार्थी यानी परोपकारी स्वभाव के होते हैं। जनजातीय समुदाय के लोग निजी हित के बजाय समुदाय के हितों को प्राथमिकता देते हैं। इस समुदाय के पास ज्ञान और संसाधनों का खजाना है। हालांकि, अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जनजातीय समुदाय की काफी उपेक्षा हुई है और उनका पिछड़ापन और अन्य समस्याएँ इसी का नतीजा हैं।
- भारत में जनजातीय समुदाय की समस्याएँ बिल्कुल अलग तरह की हैं। दरअसल, अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी सांस्कृतिक विशेषताएँ और मूल्य अलग-अलग हैं। वे जहाँ भी रहते हैं, वहाँ आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिकीय संतुलन भी सुनिश्चित करते हैं, जिसे आधुनिक दुनिया में सतत विकास के तौर पर जाना जाता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, कुछ विशेष जरूरतों की पहचान की गई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया।

जनजातीय आयोग की जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरह हैं:

- अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध कराए गए सुरक्षा प्रावधानों से जुड़े सभी मामलों की जाँच कर उन पर नज़र रखना;
- अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों की जाँच करना;

COPYING@OJAANKIAS

- अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े नियोजन की प्रकिया में भागीदारी सुनिश्चित करना और ज़रूरी सलाह देना। साथ ही, संघ और किसी भी राज्य में जनजातीय समुदाय के विकास का मूल्यांकन करना;
- अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुझाव पेश करना, ताकि केंद्र या राज्य सरकार इन सुझावों पर प्रभावी तरीके से काम कर सके,
- अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा, कल्याण और विकास के मकसद से अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करना और समुदाय की सुरक्षा और हितों के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सालाना आधार पर और जरूरत के हिसाब से राष्ट्रपति को अवगत कराना।
- अनुसूचित जनजाति से जुड़े सभी प्रमुख नीतिगत विषयों में केंद्र और राज्य सरकारें आयोग से सलाह-मशवरा करेंगी।
- आयोग के खंड 5 के उप-खंड (ए) और उपखंड (बी) से जुड़ी शिकायतों की जाँच करते समय आयोग के पास व्यवहार न्यायालय का अधिकार होगा और वह इन कार्यों के लिए भी अधिकृत देश के किसी भी हिस्से से किसी भी शख्स को तलब करना और आधिकारिक तौर पर उसका बयान लेना ज़रूरत पड़ने पर किसी भी दस्तावेज़ को ढूंढना और उसे तैयार करना हलफनामा के जरिये प्रमाण प्राप्त करना;
- किसी अदालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड या कॉपी माँगना;
- गवाहों और दस्तावेजों की जाँच के लिए संबद्ध सूचना जारी करना;
- अन्य मामले जिनके बारे में नियमों के आधार पर राष्ट्रपति फैसला कर सकते हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 338ए के खंड 9 के अनुसार, अनुसूचित जनजाति से जुड़े सभी नीतिगत मामलों में केंद्र और राज्य सरकारें आयोग से सलाह-मशवरा करेंगी।
- आयोग को लोगों, सिविल सोसायटी और गैर-सरकारी संगठनों से अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस समुदाय के लोगों पर होने वाले अत्याचारों, शोषण और सामाजिक अन्याय के मामले को उठाता है। ऐसे मामलों पर आयोग संज्ञान लेता है और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव कोशिश की जाती है। इस प्रक्रिया में आयोग को राज्य या शासन प्रणाली की हर इकाई से सहयोग मिलता है।
- दूर-दराज़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए, आयोग के सदस्य देश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा करते हैं। इसके तहत, जनजातीय समुदाय के लोगों को अपनी-अपनी जगहों पर ही शिकायतों का निपटारा करने का मौका मिलता है।
- संविधान निर्माताओं को इस बात की जानकारी थी कि जनजातीय समुदाय की अपनी खास जीवनशैली है, लिहाजा उन्होंने इस समुदाय के लिए देश के राष्ट्रपति को विशेष ज़िम्मेदारी सौंपी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अपनी सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी होती है।
- नियोजन जनजातीय समुदाय से जुड़ी योजनाओं का नियोजन और प्रभावकारी कार्यान्वयन ज़रूरी है, ताकि यह समुदाय अपनी संभावनाओं का बेहतर इस्तेमाल कर सके। भारत के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुसार, आयोग नियोजन की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
- आयोग संवाद श्रृंखला के तहत जनजातीय समुदाय से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर नियमित रूप से संबंधित पक्षों के साथ सलाह-मशवरा करता है। विचार-विमर्श की इस प्रक्रिया से आयोग को बेहतर समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि भूमंडलीकरण, आधुनिकीकरण और अलग-अलग संस्कृतियों के असर से जनजातीय समुदाय में भी बदलाव हुआ है।
- इन अध्ययनों के अनुसार, भारत में जनजातीय समुदाय के जीवन और संस्कृति के बुनियादी सिद्धांत इन मूल्यों पर आधारित हैं:
  - प्रकृति के साथ तादात्मय; शरीर, मन और आत्मा से उसके साथ जुड़ाव।
  - सहअस्तित्व, सौहार्द और अन्य जीवधारियों के साथ सहअस्तित्व।
  - सामूहिक जीवन या सामूहिक अस्तित्व और 'साझा करने' का सिद्धांत- भोजन, ज़मीन और वन संसाधनों को साझा करना, जैसे कि शिकार करने के बाद शिकार को साझा करना, बीज, श्रम और मेहनत साझा करना, जंगल और पहाड़ों में संकटों और जोखिम का मिल-जुल कर सामना करना आदि।
  - निजी संपत्ति इकट्ठा नहीं करना यानी पर्यावरण के अनुकूल और सादा जीवन।
  - संयम रखना और निर्लिप्त भाव से विवादों का निपटारा करना।
  - जनजातीय समुदाय के लोग कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं। इसके बजाय वे पीछे हट जाते हैं और विवादों को नजरअंदाज़ करते हैं।

जनजातियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ

- भारत में हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक जनजातीय समुदाय से दूसरे में, सेवाओं तक पहुँचने और रोग-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा से आगे बढ़कर जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य और विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के मामले में समान चुनौतियों को पहचानते हैं। यद्यपि प्रत्येक जनजाति का विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संदर्भ, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और उचित स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन पर केंद्रित समझ को निर्देशित करता है, भारत में इस तरह के विचार के लिए बहुत कम डेटा उपलब्ध है।
- भारत में जनजातीय लोगों के लिए स्वास्थ्य डेटा के मुख्य स्रोत, सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए जनसांख्यिकीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण हैं। हालांकि, उनकी कार्यप्रणाली स्थानीय स्तर पर विश्वसनीय अनुमान या असहमति की अनुमति नहीं देती है।
- सरकार की नियमित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अंत:क्रिया करने वालों की जनजातीय पहचान को नहीं पकड़ती है और इसलिए, जबकि सेवाओं के उपयोग और कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर बहुत विस्तृत डेटा उपलब्ध हैं, वे जनजातीय स्थिति के आधार पर डेटा को अलग करने की अनुमति नहीं देते हैं।
- इस प्रकार जनजातीय लोगों तक पहुँचने में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएँ और स्वास्थ्य प्रणाली की कमियाँ कई वर्षों तक सामने नहीं आ पाती हैं जब तक कि जनगणना या राष्ट्रीय सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण कमियों का पता नहीं चलता। भारत में जनजातीय आबादी के बीच अनुसंधान अक्सर मलेरिया या गर्भावस्था और संबंधित परिणामों जैसी विशिष्ट बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रतिनिध्यात्मक सर्वेक्षणों तक सीमित होता है, और शायद ही कभी बड़े सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो कई जनजातीय लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक खराब पहुँच का कारण होते हैं।
- जनजातीय स्वास्थ्य की अधिकांश उपेक्षा का कारण, गाँव या जनजातीय आबादी के स्तर पर उपलब्ध सटीक जानकारी की कमी को माना जा सकता है। यह बदले में जनजातीय -विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालियों की समझ और प्रतिक्रिया की कमी की ओर ले जाता है।
- वर्तमान में, जनजातीय स्वास्थ्य पर जानकारी एकत्र करने और कल्पना करने के प्रयास 2018 में विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रकाशित जनजातीय स्वास्थ्य रिपोर्ट जैसे बड़े सरकारी कार्यबलों द्वारा या किसी विशेष स्थिति या घटना/परिदृश्य पर केंद्रित स्थानीय नागरिक समाज की पहल के माध्यम से किए जाते हैं। ये अक्सर ज़मीनी स्थिति का व्यापक मूल्याँकन प्रदान नहीं करते हैं और आम तौर पर किसी विशेष क्षेत्र या परिदृश्य में जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित 'क्यों' या 'कैसे' सवालों के जवाब देने का प्रयास नहीं करते हैं।
- सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि स्वास्थ्य पर विभिन्न वार्तालाप शायद ही कभी स्वास्थ्य के विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक निर्धारकों के प्रभाव और वन अधिकारों के साथ लोगों के संघर्ष को स्वीकार करते हैं परिवार जिसका अभी तक पैतृक खेती और स्वामित्व वाली भूमि पर वैध स्वामित्व नहीं है, वह भोजन और आजीविका की असुरक्षा की स्थिति में रहता है और संभवतः बाल स्वास्थ्य और शिक्षा को, अधिक आवश्यक दैनिक जीवन की ज़रूरतों की तुलना में कम प्राथमिकता देता है।
- जीवन-यापन की ये निरापद स्थिति और आजीवन तनाव, रुग्णता और मृत्यु दर के पारम्परिक उपायों में शायद ही प्रतिबिंबित होता है। दुर्भाग्य से, स्वास्थ्य शोधकर्ताओं ने कई प्रमुख सामाजिक निर्धारकों के अपर्याप्त आकलन किए गए हैं।

स्वास्थ्य की स्थिति

- देश भर में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पर दशकों से ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, सभी जनजातीय समुदायों में प्रसवपूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर सेवाओं तक पहुँच के लिए अब भी गंभीर कमियाँ हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों।
- अधिकांश क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को स्थानीय भौगोलिक या सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल नहीं बनाया गया है, जिससे सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता खराब हो रही है।
- देश भर में एकसमान परिवार कल्याण दृष्टिकोण विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) और अन्य जनजातीय समुदायों की परिवार कल्याण आवश्यकताओं के अनुकूलन को रोकता है; प्रतिबंध वर्तमान में कुछ समूहों पर लागू होते हैं जो उनके प्रजनन अधिकारों में बाधा डालते हैं, जबकि अन्य को बांझपन उपचार और/या सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की आवश्यकता होती है।

COPYRIGHT OJAANKIAS

- जनजातीय बच्चों में बचपन की बीमारियों के लिए उपचार की सुविधाएँ गैर- जनजातीय समकक्षों की तुलना में काफी खराब है; अधिकांश राज्यों में जनजातीय बच्चों में शिशु मृत्यु दर और पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर अधिक है। जनजातीय क्षेत्रों में किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कैसे प्रदान किया जाए, इस बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है।
- जनजातीयों में पोषण का सेवन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है; उप–इष्टतम प्रोटीन, कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन कई जनजातीय समुदायों में एक समस्या है। स्कूली बच्चों में कुपोषण की व्यापकता गैर जनजातीय समकक्षों की तुलना में आम तौर पर खराब है।
- जनजातीय महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और अन्य पोषण की कमी के विकार अधिक हैं, जो गर्भावस्था में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और जनजातीय बच्चों की अरक्षितता में वृद्धि करते हैं। अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा योजनाओं का कवरेज कम है और गुणवत्ता खराब है।
- मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों के मामले अधिक होते हैं और अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में रुग्णता तथा मृत्यु दर अधिक होती है। मलेरिया इन क्षेत्रों में अन्य जगहों की तुलना में अधिक होता है; जागरूकता सामग्री तक पहुँच, निवारक उपायों और उचित उपचार का अभाव है।
- पूर्वोत्तर भारतीय जनजातीय क्षेत्रों में एचआईवी/एड्स का प्रसार तुलनात्मक रूप से अधिक है। संक्रामक रोगों पर, रोग निगरानी और महामारी विज्ञान के आंकड़े अपर्याप्त हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में संक्रामक रोग नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण नहीं है; बहुत कम संगठन गैर-संचारी रोगों पर काम करते हैं।
- कुछ जनजातीय समुदायों में गैर-संचारी रोगों (जैसे चाय बागानों में काम करने वाले असम की जनजातियों के बीच उच्च रक्तचाप) के अधिक प्रसार की सूचना है; जनजातीय समुदायों के बीच इन स्थितियों की महामारी विज्ञान की विशेषताएँ अन्य क्षेत्रों से भिन्न प्रतीत होती हैं। इन समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में अध्ययन भी व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया है; मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या देश भर के कई जनजातीय समुदायों में एक गंभीर सामाजिक चिंता के रूप में उभर रही है।
- पर्यावरणीय स्वास्थ्य सामान्य रूप से एक उपेक्षित क्षेत्र है लेकिन इन समुदायों में, यह स्वास्थ्य का एक प्रमुख सामाजिक निर्धारक है। खनन, संसाधन निष्कर्षण और अक्सर अन्य नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों के कारण जनजातीय क्षेत्र तेजी से बदलावों के दौर से गुजर रहे हैं; हालाँकि जनजातीय स्वास्थ्य प्रणालियाँ ऐसे बदलावों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं।
- जनजातीय समुदायों में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में दुर्लभ वंशानुगत और आनुवंशिक रोग प्रचलित हैं; जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में इन स्थितियों के लिए सेवाओं और रेफरल के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों और दिशानिर्देशों का अभाव है।

स्वास्थ्य प्रणालियाँ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की हिमायत वाली स्वास्थ्य प्रणाली हमें वित्त पोषण, संसाधन उपयोग और शासन के संदर्भ में स्वास्थ्य प्रणाली की समझ प्रदान करने में मदद करती है, लेकिन यह भी अपर्याप्त है। हमारा मानना है कि शिक्षा, भूमि अधिकार और अधिकारिता जैसे मानव विकास के अन्य आयामों के साथ स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों का पता लगाने की आवश्यकता है, और इनकी अब विशेष रूप से पूरे भारत में जनजातीय समुदायों के संबंध में उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए, स्वास्थ्य में कुछ चुनौतियों का समाधान करने के लिए, हमें व्यापक सामाजिक निर्धारकों को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित कारणों को स्वीकार करने और उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।
- जनजातीय जिलों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों, योजनाओं और सेवाओं के वितरण में विभिन्न कमियों के लिए कुशासन जिम्मेदार है। जनजातीय स्वास्थ्य सेवाएँ गंभीर रूप से कम वित्तपोषित हैं और समान विकास में सुधार के लिए अधिक आवंटन की आवश्यकता है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की अत्यधिक कमी है। इसके अलावा, स्वास्थ्य कार्यबल में जनजातीय प्रतिनिधित्व काफी अपर्याप्त है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अनुकूलन और कार्यान्वयन में बाधा आ रही है।
- प्रतिबंधात्मक मानदंड और दिशानिर्देश जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रतिधारण और प्रदर्शन में बाधा डालते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और उपकरणों की कमी के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं की खराब पहुँच व्याप्त है। जनजातीय समुदायों में समृद्ध पारम्परिक स्वास्थ्य ज्ञान मौजूद है, फिर भी स्वास्थ्य प्रणालियाँ सकारात्मक पारम्परिक स्वास्थ्य पद्धतियों की क्षमता का दोहन नहीं करती हैं।

- साथ ही, कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल सांस्कृतिक प्रथाओं को रोकने के लिए विशिष्ट उपायों की आवश्यकता है। कई सामाजिक निर्धारक जनजातीय स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं जैसे भौगोलिक अलगाव, प्रवास, विस्थापन और सशस्त्र संघर्ष के लिए लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
- दूसरी ओर, जनजातीय स्वास्थ्य पर किए गए अनुसंधान खंडित है और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन, उपयोग और कवरेज पर अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जनजातीय स्वास्थ्य के बारे में व्यापक जानकारी जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार से कम है। समग्र राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य योजनाओं में जनजातीय स्वास्थ्य पर कोई विशेष या अतिरिक्त ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में भी इस पर जोर नहीं दिया गया है।
- नागरिक समाज और गैर-लाभकारी गैर-सरकारी संगठन कई जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और अक्सर जनजातीय विशिष्ट मुद्दों की हिमायत करते हैं। आमतौर पर, ये संगठन किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए समुदाय-आधारित कार्यक्रम या सुविधा-आधारित धर्मार्थ सेवा मॉडल का उपयोग करते हैं।
- जनजातीय लोगों के लगातार खराब स्वास्थ्य परिणाम. उनके विशेष सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मुख्यधारा से दशकों तक हाशिए पर रहने के कारण, जनजातीय लोगों, विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- इस तरह के फोकस को नीचे से ऊपर की ओर उभरने की जरूरत है, जिसका अर्थ है कि ब्लॉक स्तर पर जिलों और स्थानीय निकायों को जनजातीय स्वास्थ्य (या शिक्षा, शासन या किसी अन्य सार्वजनिक नीति निर्माण पहल के मामले के लिए) के संबंध में समावेशी प्रक्रियाओं की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
- जनजातीय स्वास्थ्य का राष्ट्रीय स्तर पर संश्लेषण केवल आवर्ती विषयों और जनजातीय स्वास्थ्य में कमियों को उजागर कर सकता है, और राष्ट्रीय तथा राज्य नीतियों में उठाई जाने वाली कुछ क्षेत्रों की या क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं की पहचान कर सकता है।
- हालाँकि, परिदृश्य और सामाजिक-राजनीतिक वातावरण की विविधता जिसमें जनजातीय लोग रहते हैं, जिला स्तर और नीचे के स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों और स्थानीय सरकारों के स्तर पर समावेशी शासन और स्थानीय स्तर की नियोजन और संवेदीकरण की आवश्यकता है। इन समुदायों को निम्नतम आर्थिक पंचक में शामिल करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए बड़े आर्थिक सुधारों की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है।
- इन समुदायों के ऐतिहासिक व्यवहार और पर्यावरण के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों से कुछ विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याएँ सामने आई हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हिमोग्लोबिनोपैथी जैसी आनुवंशिक बीमारियों से लेकर कीट/जानवरों के काटने या चोट लगने तक, इनमें से कई समुदायों को स्क्रीनिंग और देखभाल की ज़रूरत होती है, जो स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्ध नहीं हैं।

परम्पराएँ और सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य

- भारत में कुल जनजातीय जनसंख्या की लगभग 12 प्रतिशत आबादी पूर्वोत्तर राज्यों में रहती है। मध्य भारतीय राज्यों, जहाँ जनजातीय आबादी अल्पसंख्यक है, उसके विपरीत मिज़ोरम, मेघालय और नगालैंड में जनजातीय समुदाय राज्य की कुल आबादी का अस्सी प्रतिशत से अधिक है। वास्तव में, एनईआर (पूर्वोत्तर क्षेत्र), कम से कम 133 अनुसूचित जनजाति समूहों का घर होने के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। ये भारत' में वर्तमान में पहचाने जाने वाले कुल 659 ऐसे विशिष्ट समूहों में शामिल हैं।
- हालांकि, यह देखा जा सकता है कि त्रिपुरा में जनजातीय आबादी 1951 की 56 प्रतिशत से घटकर 2001 में 30 प्रतिशत से भी कम हो गई। अरुणाचल प्रदेश में, जनजातीय आबादी 1951 की 90 प्रतिशत से घटकर 1991 में 64 प्रतिशत से भी कम हो गई। बोडो, असम का एक समतल भूमि जनजातीय समुदाय. बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र के कई इलाकों में अल्पसंख्यक बन गया है।
- पारिस्थितिकी और निवासी यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि अशांत माहौल और भू-राजनीति से ग्रसित होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप का पिछड़ा और कम विकसित क्षेत्र बना हुआ है, हालांकि यह देश के 7.9 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में फैला है। शानदार पहाड़ियों, गहरी घाटियों, अस्थिर नदियों तथा नालों, लहरदार भूमि, उपजाऊ घाटियों और विविध वनस्पतियों तथा जीवों वाला क्षेत्र एक शानदार परिदृश्य प्रस्तुत करता है।

- उल्लेखनीय रूप से, यह चार देशों- बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ 4200 कि.मी. की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। साथ ही, यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के नाम से मशहूर एक संकरे रास्ते से शेष भारत से जुड़ जाता है। यह क्षेत्र पहाड़ियों और मैदानों का मिश्रण है।
- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड और सिक्किम को पहाड़ी क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जबकि असम काफी हद तक मैदानी इलाका है। स्थलाकृति और जलवायु हमेशा बड़ी बाधाओं के रूप में रही हैं और पूर्वोत्तर भारत देश का एक सुदूर भौगोलिक क्षेत्र बना रहा है।
- दूसरे शब्दों में, उत्तर पूर्वी जनजातीय अर्थव्यवस्थाएँ, मुख्यधारा की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से दूर हैं। इस आई और पहाड़ी इलाके में कृषि व्यवसाय और आजीविका का मुख्य स्रोत होने के नाते इसका इस्तेमाल केवल वृक्षारोपण फसलों को प्रोत्साहन के माध्यम से लूट की औपनिवेशिक नीति के कारण एक ही फसल के लिए प्रेरित करने, वर्षा की उच्च तीव्रता के प्राकृतिक कारक और जनजातीय संबंधों की सामाजिक - आर्थिक संरचना के लिए किया जाता रहा है।
- फसलों की उन्नत खेती और कृषि में फसल विविधीकरण की विस्तृत श्रृंखला इस क्षेत्र के इतिहास में नहीं रही है। मानसून धान प्रमुख फसल रही है। वन उत्पाद भोजन और ईंधन के स्रोत रहे हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो अलग-अलग प्रकार के कृषि के तरीके देखे जा सकते हैं-
  - मैदानी इलाकों, घाटियों और हल्की ढलानों में कृषि और
  - अन्यत्र झूम खेती।
- कहने की ज़रूरत नहीं है कि प्रतिबंधों के बावजूद पहाड़ी राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड में झूम खेती प्रमुख कृषि पद्धति है। आजकल, कुछ राज्यों में झूम खेती के बजाय वृक्षारोपण के रूप में कृषि विकसित की गई है। ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों के निचले इलाकों में, चावल की तीन कृषि पद्धतियों का पालन किया जाता है, अर्थात् साली खेती, आहू खेती और बाओ खेती। इन्हें एक ही वर्ष के विभिन्न मौसमों में अपनाया जाता है, जो बाढ़ क्षेत्र में साल भर की खेती को दर्शाता है।

संस्कृति और परम्परा

- ऊपर वर्णित प्रत्येक पद्धति की अपनी तकनीक और विधियाँ हैं। यह पर्यावरण और जलवायु की स्थितियों पर निर्भर करता है जिसमें किसान का पारम्परिक ज्ञान अगले मौसम के लिए भूमि, बीज, बुवाई का समय, रोपाई, कटाई, भंडारण और बीजों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों से मौखिक परम्पराओं के माध्यम से प्रेषित किया गया है। इसीलिए उत्तर पूर्व भारत को पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों का भंडार माना जा सकता है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र को विविध जनजातीय समुदायों, भाषाई और जातीय पहचानों का धारक होने के कारण अक्सर भारत के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में वर्णित किया जाता है। सामाजिक-सांस्कृतिक समानता, भाषाई आत्मीयता, जातीय संबद्धता और सामान्य क्षेत्र जैसे किसी कारक के आधार पर, इन जनजातीय समुदायों को बोरो, खासी, नागा, लुशी-कुकी, अरुणाचली और अन्य जैसे कुछ समूहों के तहत आसानी से रखा जा सकता है। उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय समुदायों की अपनी पारम्परिक शासन प्रणाली है। यहाँ मुखियापन प्रचलित है, जबकि अन्य ग्राम परिषद द्वारा शासित होना पसंद करते हैं।
- परम्परा उन सांस्कृतिक विशेषताओं को दिया गया नाम था, जिन्हें परिवर्तन की स्थिति में सौंपना जारी रखा जाना था, विचार किया जाना था, खत्म नहीं किया जाना था। प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक परम्परा, सामाजिक व्यवस्था, मूल्य, रीति-रिवाज़ और उत्सव के विभिन्न रंगीन तरीके होते हैं जो ज्यादातर कृषि से संबंधित होते हैं।
- उनमें से कुछ इस प्रकार हैं- अरुणाचल प्रदेश में मोल (तांगसा), मोपिन तथा सोलुंग (आदि), ओझोआले (वांचो), न्योकुम (न्यिशी), रेह (मिश्मी), लोस्सर (मोनपा), बूरी-बूट (पहाड़ी मिरिस); असम में माघ बिहू, बोहाग बिहू, अली-ऐ-लिगांग (मिशिंग), खो (राभा), बैशागु (दिमासा) और अन्य; नगालैंड में मोत्सू (एओ), नगाडा (रेंगमा), मोन्यू (फोम), नकन्युलम (चांग), सेक्रेनी (अंगामी) और सुहकरुहनी (चाकेनसांग); मणिपुर में लाई हराओबा नृत्य, थबल चोंगबा नृत्य, रासलीला और अन्य; मिज़ोरम में चापचर कुट, मीम कुट और चेराव (बाँस नृत्य); त्रिपुरा में खारची पूजा, गरिया पूजा, कर पूजा और अन्यः मेघालय में वंगाला महोत्सव (गारो), शाद सक माइंसियम (खासी) और बेहदीनखलम (जयंतिया) और अन्य।

- जनजातीय समुदायों के सामाजिक-राजनीतिक जीवन में, राजशाही और लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से सह-अस्तित्व में हैं। जनजातियों के सदस्य रिश्तेदारी और विवाह से एकजुट होते हैं।
- इस प्रकार राजनीतिक और घरेलू मामलों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। वंश विभाजन जनजातीय समुदायों की राजनीतिक संरचना का मुख्य सिद्धांत तुलना में अपने समाजों में कहीं अधिक समतावादी स्त्री-पुरुष संबंधों के लिए जाने जाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति मोटे तौर पर इस बड़ी तस्वीर के अनुरूप है।

हाल में हुए बदलाव

- सामाजिक-सांस्कृतिक तत्व स्थिर नहीं हैं; बल्कि वे विभिन्न कारणों से बदल रहे हैं। समय के साथ, वे विविध प्रकृति के बदलते परिवेश के अनुरूप ढल रहे हैं। तदनुसार, वे खुद को नई बदली हुई स्थिति के अनुकूल बनाने के प्रयास करते हैं, जो कि नई वैश्विक व्यवस्था में भागीदारी की उत्सुकता से बहुत स्पष्ट है।
- यह लिंगानुपात, शिक्षा, शिशु मृत्यु दर या स्वच्छता जैसे सामाजिक आर्थिक संकेतकों से स्पष्ट है जो पिछड़ेपन या कम विकास को दूर करने की आकांक्षा की धारणा को प्रकट करता है (तालिका:1)। इसके अलावा, मानक नमूना सर्वेक्षणों के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी इस क्षेत्र में दक्षिणी राज्यों की तुलना में भी अधिक थी।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, लिंगानुपात मणिपुर (992) में सबसे अधिक है, इसके बाद मेघालय (989), मिज़ोरम (976) और सिक्किम (890) में सबसे कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक असम (85.92) में और सबसे कम मिज़ोरम (48.49) में है। शिशु मृत्यु दर (कुल) असम (54 प्रतिशत) में सबसे अधिक दर्ज की गई, इसके बाद मेघालय (47 प्रतिशत) और मिजोरम (35 प्रतिशत) का स्थान रहा है। यह मणिपुर (10 प्रतिशत) में सबसे कम है।
- यहाँ के आवासों में स्वच्छता सुविधाओं के आंकड़े भी मुख्य भूमि के कई हिस्सों की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भरता तालिका 1 के आंकड़ों से स्पष्ट है। क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक और संकेतक, चाहे वह जिला हो या राज्य, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को दर्शाता है, 2018 से उपलब्ध कराया गया है।
- नीति आयोग 2018 से सालाना एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रकाशित कर रहा है। नीति आयोग का तीसरा संस्करण- एसडीजी इंडिया इंडेक्स (2020-21) प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्य-वार स्कोर की गणना करता है, और लक्ष्य 17 पर गुणात्मक मूल्याँकन, 17 मापदंडों को कवर करता है।
- कुल मिलाकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के स्कोर, 16 सतत विकास लक्ष्यों में इसके प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए लक्ष्य-वार स्कोर से उत्पन्न होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दो राज्यों मिजोरम और त्रिपुरा ने 2020-21 में सर्वोच्च रैंक, यानी फ्रंट रनर श्रेणी हासिल की।
- नीति आयोग द्वारा विकसित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जिला एसडीजी सूचकांक 2021-22 के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य की उपलब्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सूचकांक को 84 संकेतकों से बनाया गया है और इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों के 15 वैश्विक लक्ष्यों, 50 सतत विकास लक्ष्यों और 103 जिलों को शामिल किया गया है।
- सूचकांक बड़ी कमियों की पहचान करने में मदद करेगा और क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति के लिए उपायों को सूचित करेगा। नीति आयोग एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक, 2021-22 में जिलेवार समग्र प्रदर्शन देखा जा सकता है। 103 जिलों के लिए स्कोर पूर्वी सिक्किम (सिक्किम) में 75.87 से किफिर (नगालैंड) में 53 तक है। फ्रंट रनर श्रेणी में 64 जिले और निर्वहन श्रेणी में 39 जिले हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में आते हैं।
- वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं का जनजातीय समुदायों की संस्कृति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण प्रत्येक समाज पर एक सजातीय उपभोक्तावादी संस्कृति और मूल्य प्रणाली थोपता है। गतिकी का नियम हर समाज पर सार्वभौमिक रूप से लागू होता है और जनजातीय समाज कोई अपवाद नहीं है।
- इस प्रकार, जनजातीय समुदायों के स्वदेशी और बहिर्जात दोनों तरह की परिवर्तन की ताकतों के संपर्क में आने से जनजातीय समुदायों की जीवन शैली और संस्कृति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि कृषि, विशेष रूप से स्थानांतरित खेती, उनमें स कई के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन बनी हुई है, उनकी आजीविका का साधन, निर्वाह कृषि आय से विविध आधुनिक बाजार-उन्मुख रोज़गार और

अर्थव्यवस्था में बदल जाता है। विभिन्न विकास पहलों के परिणामस्वरूप उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के संदर्भ में आय के स्रोतों में विविधता आई है।

- आधुनिक शिक्षा आजीविका के साधनों में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह परिवर्तन व्यवस्थित रूप से प्रति व्यक्ति आय और शैक्षिक स्तर में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। इनके अलावा अधिक विवरण की कोई गुंजाइश नहीं होने के कारण, 'पिछडे और कम विकसित' शब्द के बारे में परित्याग कथन के अंकुरण को महसूस किया जा सकता है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय समुदायों पर इसका प्रभाव गहराई से देखा जा सकता है।

देशज संस्कृतियाँ

- भारत में देशज संस्कृतियों और लोक-समुदायों की अद्भुत विविधता है। करीब 10.4 करोड़ लोग यानी देश की जनसंख्या का करीब 8.6 प्रतिशत हिस्सा इन समुदायों में बसता है। देश में 705 सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त ऐसे लोक-समुदाय हैं, लेकिन इनकी वास्तविक संख्या बहुत अधिक है। पूर्वोत्तर राज्यों, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इन समुदायों की सघनता है।
- इन लोगों की विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराएँ अनेक पीढ़ियों से चले आ रहे सामूहिक सम्बन्धों तथा भू-स्वामित्व पर आधारित हैं। इसलिए प्रकृति पर इन समुदायों की निर्भरता अभिन्न रूप से इनकी पहचान, संस्कृतियों, आजीविका के साधनों आदि के साथ-साथ, इनकी भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रसन्नता से भी जुड़ी हैं। उनकी पारम्परिक संस्कृति और जीवन-शैली में जीने का वैज्ञानिक तरीका, उच्च टैक्नोलॉजी और श्रेष्ठ मानवीय कौशल नजर आता है।
- स्थानीय वनस्पतियों और जीवों, बीजों, औषधियों, मछली पकड़ने, घर बनाने, वस्त्र तैयार करने, भोजन आदि की उनकी गहरी समझ, सही मायने में टिकाऊ विकास-मार्ग का आधार है।
- देशज समुदायों के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि देशज समुदाय विश्व के स्थल क्षेत्र के एक चौथाई हिस्से पर रहते हैं अथवा इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे विश्व की बची हुई 80 प्रतिशत जैव-विविधता की रक्षा करते हैं। जलवायु और प्राकृतिक विनाश के खतरों को कम करने, उनसे बचाव और प्रकृति के साथ अनुकूलन के बारे में इन समुदायों के पास पीढ़ियों का संचित ज्ञान और विशेषज्ञता है।
- दुर्भाग्य से, देशज समुदायों के जीवन, आजीविका और व्यवहार से जुड़े इन पारम्परिक तौर-तरीकों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार अनेक कारकों में इन लोगों के अधिकारों को मान्यता और संरक्षण न दिया जाना, इन्हें अलग-थलग रखने वाली सरकारी नीतियाँ और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव शामिल हैं। इस लेख में भारत की कुछ स्थानीय देशज संस्कृतियों का रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश के आदि समुदाय

- आदि अरुणाचल प्रदेश के अनेक देशज समुदायों में एक हैं। उनका मानना है कि उनके पूर्वज उत्तरी इलाकों से इस शीतोष्ण और उप-उष्ण-कटिबंधीय इलाके में आ कर बस गए। इस समय, ये लोग अरुणाचल प्रदेश के सिआंग, पूर्वी सिआंग, अपर सिआंग, पश्चिमी सिआंग, लोअर डिबंग वैली, लोहित, शियोमी और नामसाई इलाकों में रहते हैं। 'आदी' शब्द का स्थानीय भाषा में अर्थ 'पहाड़ी' या 'पर्वत-शिखर' है। ये लोग चीनी-तिब्बती भाषा बोलते हैं।
- ये पारम्परिक रूप से प्रकृति-पूजक हैं और दोन्यी-पोलो मत को मानते हैं। अन्य अधिकतर देशज समुदायों की तरह,आदी भी प्रकृति पर निर्भर हैं। ये अपनी आजीविका और जीवन-शैली में पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं। इनके सभी संसाधन वनों से आते हैं और अपने इस जीवन-स्रोत की वह रक्षा करते हैं।

अरुणाचल प्रदेश के तांग्सा

- तांग्सा समुदाय के लोग पूर्वी अरुणाचल प्रदेश चांगलांग जिले में रहते हैं। यह किला पाटकाई पहाड़ियों की गोद में बसा है। प्राचीन वनों के बीच बहती मोहक नोआ-देहिंग नदी इन स्थानीय जनों के लिए जीवन-दायिनी है।

COPYING@OJAANKIAS

- तांग्सा समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है और खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण, भोजन पकाने में ईंधन बचाने, कपड़ा बुनने, भवन बनाने और टोकरियाँ बनाने में इन्हें महारत हासिल है। उनकी अब तक चली आ रही एक विशेषता बाँस की चाय बनाने की है। ताम्सा और सिंगफॉस समुदाय भारत के मूलभूत चाय-निर्माता माने जाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत में चाय को व्यापारिक रूप से लोकप्रिय बनाने से बहुत पहले चाय बनाना शुरू कर दिया था।

राजस्थान के कालबेलिया

- कालबेलिया पारम्परिक सँपेरों का अनोखा समुदाय है। यह योगी पंथ के नवनाथ बंजारा समुदाय से हैं। लगातार घूमते रहने से उन्हें 'घूमन्तर' भी कहा जाता है। कुछ दशक पहले ये लोग राजस्थान में जोधपुर में चोपसनी इलाके में बस गए। यहाँ करीब 200 कालबेलिया रहते हैं जिनमें 100 क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये कालबेलिया गीत-संगीत और नृत्य के गुरु होते हैं। चोपसनी के कालूनाथ कालबेलिया, अप्पानाथ कालबेलिया, आशा संपेरा, सुवा देवी समदा प्रमुख गुरु हैं। कालूनाथ को तो इस लोक कला का सजीव रूप ही माना जाता है।
- इनके सांस्कृतिक कला-रूपों और उनके अभ्यासों की परम्परा पूरी तरह वाचिक है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को पहुँचाती है। 'काल' का मतलब है 'साँप' और 'बेलिया' का मतलब 'मित्र' है। 1972 में वाइल्डलाइफ एक्ट के लागू होने के बाद साँपों के साथ खिलवाड़ करने की मनाही हो जाने के बाद से, इन लोगों का परम्परागत पेशा समाप्त हो गया। अब ये नाच-गाने से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका देशज गीत-संगीत, नृत्य और हस्त-शिल्प बड़े समृद्ध, रंगारंग और जीवंत हैं। इस समुदाय के लोगों की स्थानीय जंतुओं और वनस्पतियों की गहन जानकारी होती है और ये प्राकृतिक वस्तुओं से औषधियाँ बनाने में निपुण होते हैं।
- राजस्थान के कालबेलिया समुदाय और उनके पुरखों के बारे में काफी शोधकार्य हुआ है और फिल्में भी बनी हैं। माना जाता है कि उनके पुरखे अमेरिका और यूरोप में बसे घुमंतू रोमा कबीलों के जमाने के थे। कालबेलिया समुदाय को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन-युनेस्को की मानवता की धरोहरों की प्रतिनिधि सूची (रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ़ हेरिटेज ऑफ़ हयूमेनिटी) में शामिल किया गया है। लेकिन गाँवों में कलाकारों की स्थिति बहुत खराब है। पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाने और आमदनी जुटाने के अन्य काम न अपना पाने से कालबेलिया संगीतकारों और नर्तकियों की संख्या कम होती जा रही है।
- 'लम्हे', 'रुदाली' जैसी अनेक फिल्मों और वृत्तचित्रों में कालबेलिया कलाकारों ने काम किया है। कालबेलिया नृत्य पर पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इन लोगों की सामाजिक और आर्थिक विपन्नता बहुत अधिक है - न आजीविका के पर्याप्त साधन हैं, न सामाजिक सम्मान है।

पश्चिम बंगाल के राजबंशी

- राजबंशी भी एक देशज समुदाय है जिसके लोग पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और देश के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बसे हैं। यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर इलाके के सबसे बड़े देशज समुदायों में एक है।
- अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से, कृषि इनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत हैं। उनकी प्राचीन सभ्यता, धरोहर तथा संस्कृति, अपनी बोली, कला-रूप और जीवन-शैली हैं। 'राजबंशी' शब्द 'शाही समुदाय' का द्योतक है।
- माना जाता है कि ये प्राचीन कोच साम्राज्य के वंशज हैं। कभी इनके पूर्वज यहाँ की जमीन के स्वामी थे, लेकिन अंग्रेजों के आने और अन्य बाहरी लोगों के हमलों में इन्होंने अपनी जमीन और टिकाऊ ग्रामीण अर्थव्यवस्था खो दी।
- राजबंशियों के कला-रूपों में बड़ी विविधता है। इनमें बाँस और ढोकरा शिल्प, गोमिरा नृत्य (मुखा नाच) और व्यंगात्मक लोक नाट्य खोन शामिल हैं। यह समुदाय, परम्परा से जीववादी (एनिमिस्ट) है इसलिए इनके सभी सांस्कृतिक कला-रूप प्रकृति, अध्यात्म, प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल और स्थानीय जैव-विविधता के गहन ज्ञान पर आधारित हैं।
- गोमिरा नृत्य को स्थानीय तौर पर मुखा नाच भी कहा जाता है। यह एक पारम्परिक नृत्य अथवा संगीत लोक नाट्य है, जिसमें मुँह पर विभिन्न देवी-देवताओं के लकड़ी के बने गोमिरा यानी मुखौटे पहने जाते हैं। नृत्य करने वालों की मान्यता है कि मुखौटे पहनते ही, देवी-देवता उन पर उतर जाते हैं।

निष्कर्ष

- स्पष्ट है कि इन अनूठी पारम्परिक ज्ञान-प्रणालियों, कला और शिल्पों का घनिष्ठ आपसी संबंध होता है और इन सभी में प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग होता है। प्राचीन काल से ही, देशज समुदायों ने गीतों, नाटकों और सामाजिक रीति-रिवाजों की मौखिक सांस्कृतिक परम्पराएँ विकसित की हैं ताकि वे आस्था और आशा के साथ बदलते समय के साथ जीवित रह सकें।
- जहाँ एक ओर विश्व 2030 तक के धारणीय विकास के लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे सैकड़ों देशज समुदाय हैं जो अपने पारम्परिक तरीके के जीवन से प्रकृति में जरा भी कार्बन प्रदूषण नहीं फैलाते। ऐसे ज्यादातर समुदाय आत्मनिर्भर हैं और अपने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान एवं विवेक के साथ जीते हैं।
- इस ज्ञान-विवेक को पहचान कर मान्यता देते हुए यथाशीघ्र बचाया जाना चाहिए, न कि इनको चारों तरफ फैली प्रभावी संस्कृति में जबरदस्ती मिलाने की कोशिश की जानी चाहिए। मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति के बीच सजग संतुलन को समझने तथा कायम करने के लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करना और सँजो कर रखना आवश्यक है।

अनुसूचित जनजातियों की कल्याण योजनाएँ

- भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों और अन्य सभी पिछड़े ना समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ अपनाकर कई उपाय कर रही है। राज्य सरकारें भी अपने संसाधनों से और हर मौके पर केंद्र सरकार के सहयोग से पिछड़े समुदायों के उत्थान की दिशा में प्रयास कर रही हैं। सरकार इस समय अनुसूचित जनजाति घटक योजना (एसटीसी) के माध्यम से अनुसूचित जनजाति कल्याण में बड़ा योगदान कर रही है और भारत सरकार के कई मंत्रालय इन जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कोष का विशेष प्रबंध करते हैं।

अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति घटक या विकास कार्य योजना (एसटीसी या डीएपीएसटी)-

- 2017-18 से पहले केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि तत्कालीन योजना आयोग द्वारा 2010 में गठित कार्यबल के सुझाए मानदंडों के अनुरूप जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की नीति के अनुसार मंत्रालयों/विभागों द्वारा आबंटित की जाती थी। इन राशियों का आबंटन विशेष रूप से होता था और मंत्रालयों/विभागों के योजना प्रबंधन के हिसाब से किया जाता था।
- एसटीसी के तहत केंद्र सरकार के करीब 41 मंत्रालय/विभाग चिह्नित किए गए। राज्य सरकारों को भी अपनी कुल जनसंख्या में से जनजातीय आबादी के अनुपात के अनुसार अपनी एसटीसी निर्धारित करनी पडी। एसटीसी के लिए कोष आबंटन केंद्र क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के सकल आबंटन से ही किया जाता है, मंत्रालय/ विभाग के कुल बजट में से नहीं। लेकिन ऐसी लचीली व्यवस्था ज़रूर है कि मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेष गतिविधियों के लिए कोष आबंटित कर सकते हैं बशर्ते कि उनकी योजनाएँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़ी न हों और उन के कार्य का सीधा उद्देश्य इन समुदायों का कल्याण न हो।
- इनके अतिरिक्त भारत सरकार जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ और केंद्र-प्रायोजित कई योजनाएँ भी चला रही है। सरकार जनजातीय कल्याण की योजनाएँ लागू करने में राज्यों को सहायता देती है तथा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने से जुड़े अनुसंधान और विकास पर निवेश भी करती है।

जनजातीय कल्याण की केंद्रीय क्षेत्र वाली और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं :

जनजातीय उपयोजना या राज्यों की जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:

- जनजातीय लोगों और अन्य सामाजिक समूहों के बीच का अंतर कम करने के लिए मानव संसाधन विकास करने, जीवन स्तर बेहतर बनाने और प्रशासन में सुधार लाकर बेहतर अवसर जुटाने तथा गरीबी दूर करने के लिए राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता दी जाती है।

COPYRIGHT OJAANKIAS

अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत सहायता अनुदान:

- राज्यों में अपने अनसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार लाकर उन्हें शेष राज्यों की बराबरी पर लाने के अनसूचित जनजाति कल्याण कार्यों के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को राजकोष में से सहायता अनुदान दिया जाता है। यह सहायता राज्यों के प्रयासों में सहयोग के लिए ही दी जाती है ताकि प्रशासन में महत्वपूर्ण अंतराल की भरपाई हो सके।

छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजनाएँ:

- केंद्र सरकार ने देश में अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजनाओं की व्यवस्था की है और ये शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर दी जाती हैं, जैसे- मैट्रिक-पूर्व शिक्षा और मैट्रिक-पश्चात शिक्षा।
- इसी प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें बढ़ावा देने के लिए टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम यानी उच्च शिक्षा योजना चलाई जा रही है जो अनुसूचित जनजातियों के उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है।

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान:

- उपरोक्त छात्रवृत्तियों और फेलोशिप के अलावा भारत सरकार राज्यों को कई अन्य योजनाओं के जरिए मदद करती है। ये योजनाएँ हैं:-
  - अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान,
  - विशेष रूप से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले जनजातीय समूहों के विकास की योजना,
  - जनजातीय लोगों के उत्पादों की हाट-व्यवस्था विकसित करने के लिए संस्थागत समर्थन की योजना, और
  - कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के बीच शिक्षा व्यवस्था सशक्त बनाने की योजना।

पीवीटीजी की सुरक्षा के लिए विशेष कोष:

- विशेष रूप से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले जनजातीय समूह पीवीटीजी ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जो प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता या कृषि पूर्व स्तर में हैं और जिनकी जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, साक्षरता का बेहद कम स्तर और अर्थव्यवस्था में गिरावट है।
- भारत सरकार ने देश के 18 राज्यों में ऐसे 75 पीवीटीजी की पहचान की है और आजीविका, स्वास्थ्य, पोषाहार और शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों में सुधार लाकर इन्हें आगे बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है।

बालिकाओं (लड़कियों) की शिक्षा के लिए:

- केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया है। जनजातियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए अधिक क्षेत्र आबंटित किया गया है। साथ ही, जनजातीय अनुसंधान को भी महत्व दिया जा रहा है।
- भारत सरकार राज्यों के जनजातीय विकास के लिए जनजातियों पर अनुसंधान करने पर जोर दे रही है तथा इसके लिए जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन, जनजातियों के प्रति जागरूकता और जानकारी का प्रसार करने की योजना बनाने और कानून बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रतिष्ठान अनुसूचित जनजातियों के उन पात्र लोगों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है जो मानदंडों के अनुरूप प्रक्रिया के अनुसार आय पैदा करने के कार्य या स्वरोजगार करना चाहते हैं।
- भारत सरकार की ओर से जनजातीय आबादी को शिक्षित बनाने का मिशन शुरू कर दिया गया है। इसके तहत जनजातीय बच्चों की शिक्षा का स्तर उठाने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल के रिहाइशी स्कूलों के विकास पर बल दिया जा रहा है।
- जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को महत्व देने के उद्देश्य से सरकार ने 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की है। यही जनजातीय नेता बिरसा मुंडा का जन्मदिन (जयंती) भी है। इस फैसले से आने वाली पीढ़ियों को महान बिरसा मुंडा का इतिहास जानने में मदद मिलेगी और उन्हें देश के लिए उनके त्याग एवं बलिदान का पता चलेगा।

- वन उत्पादों पर जनजातीय लोगों के अधिकार को समझते हुए भारत सरकार ने अभी हाल में कृषिवन प्राकृतिक संसाधन आधारित सूक्ष्म उद्योग लगाने पर जोर दिया है। छोटे वन उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था के लिए तंत्र स्थापित करने की हाल में शुरू की गई योजना- 'वनधन विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत जनजातीय लोगों को छोटे वन्य उत्पादों की बिक्री की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे वैल्यू चेन विकसित कर सकें।

मौजूदा योजनाओं में सुधार

- वर्ष 2021-26 के लिए, कई मौजूदा योजनाओं को एक-दूसरे के साथ मिला दिया गया है, उन्हें सुधार कर नया रूप दिया गया है और उनके दायरे को बड़ा कर दिया गया है।

आदिवासियों के समग्र विकास के लिए बनाई गई 3 योजनाएँ इस प्रकार हैं-

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना:

- एससीए से टीएसएस की मौजूदा योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना' के तहत 36,428 गाँवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर इन गाँवों का व्यापक विकास किया जाएगा। इन गाँवों में आदिवासियों की आबादी 500 से अधिक और कुल संख्या की 50 प्रतिशत तक है।
- 1354 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जिसका उपयोग जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न मंत्रालयों को उनकी संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए 87,524 करोड़ रुपये के एसटीसी घटक के अलावा गैप फिलिंग व्यवस्था के रूप में किया जाएगा। अगले पाँच वर्षों के लिए 7276 करोड़ रुपये की धनराशि को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन:

- इस मिशन का लक्ष्य वन धन समूहों के गठन के माध्यम से अगले पाँच वर्षों में आजीविका संचालित आदिवासी विकास हासिल करना है। इन वन धन समूहों को वन धन केंद्रों के रूप में संगठित किया गया है। आदिवासियों द्वारा एकत्रित एमएफपी को इन केंद्रों में संसाधित किया जाएगा और वन धन निर्माता उद्यमों के माध्यम से इनका विपणन किया जाएगा।
- "आत्म-निर्भर भारत अभियान" के हिस्से के रूप में अगले 5 वर्षों में नए हाट बाजार और माल गोदाम विकसित किए जाएंगे। इस योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड नोडल एजेंसी होगी। वन उत्पादों का विपणन ट्राइब इंडिया स्टोर्स के माध्यम से किया जाएगा। मिशन के तहत अगले पाँच वर्षों के लिए 1612 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

एसटी के लिए वेंचर कैपिटल फंड:

- अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ-एसटी)' की नई योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य एसटी समुदाय के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- वीसीएफ-एसटी योजना एसटी उद्यमिता को बढ़ावा देने और एसटी युवाओं द्वारा स्टार्ट-अप की सोच को विकसित करने और उनका समर्थन करने के लिए सामाजिक क्षेत्र की एक पहल होगी।

COPYING OJAANKAS